A4

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 08/2012

जी.सी.एम.एस. : 2012/00262

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
तहसीलदार, सोजत जिला पाली		भेराराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी खारियानीव तहसील सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20.6.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहाकार समिति के आदेश क्रमांक 789 दिनांक 16.07.1983 के द्वारा ग्राम खारियानीव पटवार मण्डल खारियानीव के खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.6100 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में किये गये भू–आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होंने से सरकारी पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम खारियानीव के खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.6100 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम भूमि आवंटन सलाहाकार समिति के आदेश क्रमांक 789 दिनांक 16.07.1983 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटित की गयी थी तथा आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 160 के द्वारा अप्रार्थी को बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। वर्ष 2013 में केम्प खारियानीव के दौरान तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/314 दिनांक 01.02.2013 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1397 दिनांक 01.02.2013 के द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया है, आवंटन के पश्चात आज दिनांक तक अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर अप्रार्थी के पडौसी नेमाराम पुत्र हुकमाराम व भंवरलाल पुत्र मादूराम निवासी खारियानीव का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी ने जरिये बेचान दिनांक 28.07.2022 के द्वारा जैर आराजी को मूली देवी पत्नी नेमाराज जाति मेघवाल को बेचान कर दिया है, जिसके नामान्तरकरण

अति. जिला कलक्टर, पाली

संख्या 1858 के द्वारा खरीदकर्ता का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। जैर आराजी के सम्बन्ध में आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। जिससे स्पष्ट है आंवटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लघंन किया है। अतः अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। आवंटन सलाहाकार समिति के आदेश क्रमांक 789 दिनांक 16.07.1983 के द्वारा ग्राम खारियानीव के खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.6100 हैक्टेयर किस्म बैरानी दोयम का अप्रार्थी भेराराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल के पक्ष में किये गये भू–आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत पेश किया है। जैर आवंटन आदेश की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 160 के द्वारा आवंटी अप्रार्थी को जैर आराजी में गैर खातेदार दर्ज किया गया, जो ग्राम खारियानीव की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2066 के अवलोकन से स्पष्ट है।

पत्रावली के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2012 के अनुसार जैर आराजी पर आवंटन के पश्चात से आज दिनांक तक अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर अप्रार्थी के पडौसी नेमाराम पुत्र हुकमाराम व भंवरलाल पुत्र मादूराम निवासी खारियानीव का कब्जा काश्त है। साथ ही तहसीलदार सोजत के पत्र दिनांक 07.05.2024 में अंकितानुसार वर्ष 2013 में केम्प खारियानीव के दौरान तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/314 दिनांक 01.02.2013 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1397 दिनांक 01.02.2013 के द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया है, जो कि ग्राम खारियानीव के खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070, 2074 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अवलोकन से स्पष्ट है। यदि अप्रार्थी का जैर आराजी पर आवंटन के पश्चात से आज दिनांक तक मौके पर कब्जा काश्त ही नहीं था तो प्रार्थी ने किस आधार पर वर्ष 2013 में अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये ? प्रार्थी के द्वारा ही अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार दिये जाकर पुनः प्रार्थी द्वारा ही उन्हे निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

तहसीलदार सोजत के पत्र दिनांक 07.05.2024 के अनुसार अप्रार्थी ने जरिये बेचान दिनांक 28.07.2022 के द्वारा जैर आराजी को मूली देवी पत्नी नेमाराज जाति मेघवाल को बेचान कर दिया है, जिसके नामान्तरकरण संख्या 1858 के द्वारा खरीदकर्ता मूली देवी पत्नी नेमाराज का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। अर्थात् वर्तमान में मूली देवी जैर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने क उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा मूली देवी

अति. जिला कलक्टर, पाली

A4 13

को पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही नहीं की है, जिससे भी जेर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 सारहीन होने से खारिज की जाती है। आवंटी अप्रार्थी भेराराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी खारियानीव के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश 789 दिनांक 16.07.1983 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)